70

चुनाव कानून
(Election Laws)

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

संविधान के अनुच्छेद 81 तथा 170 में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम सीटों की संख्या संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, साथ ही उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में सीटों का आवंटन किया जाता है लेकिन ऐसी सीटों का वास्तविक आवंटन छोड़ दिया गया है जो कि कानून द्वारा प्रदान किया जाता है।

उसी प्रकार, अनुच्छेद 171 किसी राज्य की विधान परिषद् में अधिकतम एवं न्यूनतम सीटों का प्रावधान करता है, और उन विधियों का भी उल्लेख करता है जिनका उपयोग कर सीटें भरी जाएँगी। लेकिन यहाँ भी ऐसी प्रत्येक विधि से वास्तव में कितनी सीटें भरी जाएँगी यह कानून पर छोड़ दिया गया है।

इस प्रकार जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का अधिनियमन लोकसभा के साथ-साथ राज्यों की विधानसभाओं तथा विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के उद्देश्य से किया गया।

लोकसभा एवं विभिन्न राज्यों के लिए कुल कितनी सीटें होंगी, साथ ही विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में कितनी सीटें होंगी, इसके लिए 1 मार्च 1950 को विभिन्न राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में रखा गया।

अधिनियम राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे चुनाव आयोग से परामर्श करके लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों की सीटें भरने के लिए विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की संख्या को सीमित कर सकते हैं।

अधिनियम पुनः लोकसभा चुनाव क्षेत्रों तथा विधानसभा एवं विधान परिषद् चुनाव क्षेत्रों के निर्वाचकों के निबंधन का प्रावधान करता है और ऐसे निबंधन के लिए योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का भी।

विस्थापित व्यक्तियों को रियायत देने के लिए एक विशेष प्रावधान भी किया गया है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो वर्ष 1949 के 25वें दिन पाकिस्तान के भूभाग से भारत आए थे। मतदाता सूची के निर्माण, ऐसी सूची पत्रों का मुद्रा काल, तथा विशेष मामालों में ऐसी अवधि में सूची पत्रों के पुनरीक्षण का भी प्रावधान किया गया है।

तालिका 70.1 *जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950) : एक झलक में*

भाग	विषय-वस्तु	आवरित धाराएँ[1]
I	प्रारम्भिक	1–2
II	सीटों का आबंटन एवं चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन	3–13
IIA	पदाधिकारी	13A–13CC
IIB	संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची	13D
III	विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची	14–25A
IV	परिषद् क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची	26–27
IVA	राज्यों की परिषदों में सीटें भरने का तरीका, संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा सीटें भरना	27A–27K
V	सामान्य	28–32

तालिका 70.2 *जन-प्रतिनिधित्व कानून (1950) की अनुसूचियाँ : एक झलक में*

संख्याएँ	विषय-वस्तु
पहली अनुसूची	लोकसभा में सीटों का आबंटन
दूसरी अनुसूची	विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या
तीसरी अनुसूची	विधान परिषदों में सीटों का आबंटन
चौथी अनुसूची	विधान परिषदों में चुनाव के उद्देश्य से स्थानीय प्राधिकारी
पाँचवीं अनुसूची	(निरस्त)
छठी अनुसूची	(निरस्त)
सातवीं अनुसूची	(निरस्त)

कुछ कार्यवाहियाँ संविधान सभा सचिवालय द्वारा भी लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची को तैयार करने के लिए की गई थीं। ऐसी कार्यवाहियों की वैधता के लिए अधिनियम में एक प्रावधान भी किया गया है।

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में चुनावों से संबंधित सभी प्रावधान नहीं थे, बल्कि इसमें लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के लिए सीटों के आवंटन की तथा चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मतदाता की अर्हता तथा मतदाता सूचियों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया था।

संसद के दोनों सदनों तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद् के चुनाव, इन सदनों के लिए अर्हता एवं अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव संबंधी प्रावधान तथा चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय – ये सब बाद में अपनाए जाने वाले उपायों पर छोड़ दिया गया। इसलिए इन बिन्दुओं पर प्रावधान करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियमित किया गया।

मोटे तौर पर यह अधिनियम निम्नलिखित चुनावी विषयों से संबंधित हैं:

1. संसद तथा राज्य विधायिकाओं के लिए अर्हताएँ एवं अयोग्यताएँ
2. आम चुनावों की अधिसूचना
3. चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी
4. राजनीतिक दलों का निबंधन
5. चुनाव संचालन
6. मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए कुछ सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति

तालिका 70.3 *जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) : एक झलक में*

भाग	विषय-वस्तु	आवरित धाराएँ[2]
I	प्रारम्भिक	1-2
II	अर्हताएँ एवं अयोग्यताएँ	3-11B
III	आम चुनावों की अधिसूचना	12-18
IV	चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी	19-29
IVA	राजनीति दलों का पंजीकरण	29A-29C
V	चुनाव संचालन	30-78
VA	मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को कुछ सामग्रियों की नि:शुल्क आपूर्ति	78A-78B
VI	चुनाव संबंधी विवाद	79-122
VII	भ्रष्ट आचरण एवं चुनावी अपराध	123-138
VIII	अयोग्यताएँ	139-146C
IX	उप-चुनाव	147-151A
X	विविध	152-168
XI	सामान्य	169-171

7. चुनाव संबंधी विवाद
8. भ्रष्ट आचरण एवं चुनावी अपराध

सीमांकन अधिनियम, 2002

भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 तथा 170 प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्रों) में बँटवारे तथा पुनर्स्थापन का प्रावधान करते हैं और इसका आधार जनगणना, 2001 है। ऐसे प्राधिकार द्वारा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।

साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का पुनर्निधारण का प्रावधान जनगणना, 2001 के आधार पर करते हैं।

वर्तमान में संसदीय एवं विधानसभाई क्षेत्रों का सीमांकन 1971 की जनगणना पर आधारित है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में देश के विभिन्न भागों में असमान जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ किसी एक ही राज्य में लोगों/मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सतत् अप्रवास, विशेषकर गाँवों से शहरों की ओर, का परिणाम यह हुआ है कि एक ही राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में भारी अंतर है।

इस प्रकार, सीमांकन अधिनियम, 2002[3] का अधिनियम एक सीमांकन आयोग के गठन के लिए किया गया जिसका उद्देश्य 2001 की जनगणना के आधार पर सीमांकन को प्रभावी बनाया जाना था जिससे कि उपरिलिखित निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में एकरुपता स्थापित की जा सके। प्रस्तावित सीमांकन आयोग 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनर्निधारित भी करेगा, लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित सीटों की कुल संख्या को बिना प्रभावित किए।

अधिनियम इस बारे में कुछ दिशा-निर्देश देता है कि ऐसा सीमांकन किस तरीके से संभव बनाया जाए। अधिनियम में नये सीमांकन आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह संसदीय एवं विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करे। विशेष रुप से यह भी प्रावधान किया गया कि आयोग अपना कार्य 31 जुलाई, 2008[4] के पहले अवश्य पूर्ण कर ले।

प्रस्तावित सीमांकन प्रत्येक आम चुनाव पर लागू होगा - लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए जबकि आयोग के अंतिम आदेश प्रकाशित हो जाएं। यह इन आम चुनावों के बाद होने वाले उप-चुनावों पर भी लागू होगा।

तालिका 70.4 *सीमांकन अधिनियम (2002)[5] : एक झलक में*

धाराएँ	विषयवस्तु
1.	संक्षिप्त शीर्षक
2.	परिभाषाएँ
3.	सीमांकन आयोग का गठन
4.	आयोग के कर्त्तव्य
5.	सम्बद्ध सदस्य
6.	आकस्मिक रिक्तियाँ
7.	आयोग की पद्धति एवं प्रकार्य
8.	सीटों की संख्या का पुनर्समायोजन
9.	निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन
10.	आदेशों का प्रकाशन एवं लागू होने की तिथि
10A.	कतिपय मामलों में सीमांकन का आस्थगन
10B.	सीमांकन आयोग के झारखंड राज्य के संबंध में जारी आदेशों का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होना।
11.	सीमांकन आदेशों को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति
12.	निरसन (Repeal)

चुनाव संबंधी अन्य अधिनियम

1. संसद (अयोग्यता निरोधक) अधिनियम, 1959[6] यह घोषणा करता है कि सरकार के अंतर्गत कतिपय लाभ के पद पदधारक के संसद सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्यता नहीं बनेंगे।
2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेशन एवं बहिष्करण का प्रावधान करता है - कतिपय जातियों एवं जनजातियों का, ताकि संसदीय एवं विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन संभव हो सके।
3. संघशासित क्षेत्र अधिनियम, 1963
4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991
5. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952[7] राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव से संबंधित कतिपय मामलों का नियमन करता है।

चुनाव से संबंधित नियमावलियाँ

1. निर्वाचक का निबंधन नियमावली, 1960[8] मतदाता सूची के निर्माण एवं प्रकाशन का प्रावधान करती है।
2. चुनाव संचालन नियमावली, 1961[9] निष्पक्ष तथा स्वतंत्र संसदीय एवं विधानसभा चुनाव संचालन को सुसाध्य बनाती है।
3. समकालिक सदस्यता निषेध नियमावली, 1950 (Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950)
4. लोकसभा सदस्य (दलबल के आधार पर अयोग्यता) नियमावली, 1985
5. राज्यसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियमावली, 1985
6. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली, 1974[10]
7. लोकसभा सदस्य (संपत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा) नियमावली, 2004
8. राज्यसभा सदस्य (संपत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा) नियमावली, 2004

चुनाव से संबंधित आदेश

1. चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव चिन्हों के ब्यौरे, आरक्षण, विकल्प तथा आवंटन का प्रावधान करता है।
2. राजनीतिक दलों का निबंधन (अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुतीकरण) आदेश, 1992 विभिन्न संघों, अथवा भारतीय नागरिकों के निकायों द्वारा अतिरिक्त जानकारियाँ प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान करता है जो कि राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग से साथ निबंधित होना चाहते हैं।

संदर्भ सूची

1. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950) की प्रत्येक धारा की विषय-वस्तु के लिए देखें परिशिष्ट - IX
2. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की प्रत्येक धारा के लिए देखें परिशिष्ट - X
3. सीमांकन अधिनियम (2002) का संशोधन 2003, 2008 एवं 2016 में हुआ।

4. मूल रूप में अधिनियम दो वर्ष की अवधि का प्रावधान करता है।
5. इसके पहले सीमांकन अधिनियम 1952, 1962 एवं 1972 में अधिनियमित हुए थे।
6. इस अधिनियम के द्वारा पूर्व के तीन अधिनियमों को वापस ले लिया गया, जैसे – संसद (अयोग्यता निरोधक) अधिनियम, 1950, संसद (अयोग्यता निरोधक) अधिनियम, 1951 तथा अयोग्यता निरोधक (संसद एवं भाग सी राज्य विधायिका) अधिनियम, 1963
7. इस अधिनियम में 1974, 1977 तथा 1997 में संशोधन किया गया।
8. इसके पूर्व इस संबंध में नियमावलियाँ 1950 एवं 1956 में बनी थीं। दोनों पूर्व की नियमावलियाँ एक ही नाम से जानी जाती थीं–जन–प्रतिनिधित्व (मतदाता सूची निर्माण) नियमावली।
9. इसके पूर्व इस संबंध में नियमावलियाँ 1951 एवं 1956 में बनी थीं। दोनों नियमावलियाँ एक ही नाम से जानी जाती थीं – जन–प्रतिनिधित्व (चुनाव संचालन एवं चुनाव याचिका) नियमावली।
10. इन नियमावलियों ने पूर्व के राष्ट्रपति एवं उप–राष्ट्रपति चुनाव नियमावली, 1952 को निरस्त कर दिया।